कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2016/2683 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर 2016

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–एम0ई0–3/2016/2645 दिनांक 21 सितम्बर 2016 के क्रम में दिनांक 23 सितम्बर 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक आयोजित नीट यू0पी0 2016 की निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेण्टल कालेजों की काउंसिलिंग हेतु अद्यावधिक दिशा–निर्देश निम्नवत हैंः–

- दिनांक 18.9.2016 से 22.9.2016 के मध्य के0जी0एम0यू0, लखनऊ की वेबसाईट पर पंजीकृत ऐसे छात्र, जो निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश के इच्छुक हैं, को सम्मिलित करते हुये मेरिट सूची (प्राइवेट प्रवेश) दिनांक 23 सितम्बर 2016 को प्रातः 8:00 बजे जारी की जायेगी।

- दिनांक 23 सितम्बर 2016 को आयोजित निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेण्टल कालेजों की काउंसिलिंग मेरिट सूची (प्राइवेट प्रवेश) के आधार पर मध्यान्ह 12:00 बजे के पश्चात प्रारम्भ की जायेगी।

- दिनांक 23 सितम्बर 2016 को प्रातः 11:00 बजे काउंसिलिंग बोर्ड की बैठक में निजी क्षेत्र के कालेजों की सीट चार्ट, फी स्ट्रक्चर इत्यादि पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। तत्पश्चात समस्त केन्द्रों पर उपस्थित प्रतिनिधियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत सूचना (ब्रीफिंग) उपलब्ध कराई जायेगी।

- काउंसिलिंग के समय निजी क्षेत्र के कालेजों के प्रतिनिधियों द्वारा काउंसिलिंग केन्द्र में छात्रों से **Canvassing** किसी भी रूप में अनुमन्य नहीं होगी। काउंसिलिंग केन्द्र के बाहर निर्धारित स्टॉल पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत व्यवस्था के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं।

- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रथम डी0नोवो काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 25 सितम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है। अतः छात्रों की सुविधा हेतु समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों पर छात्रों के यथासमय प्रवेश हेतु **Admission** की व्यवस्था सम्बन्धित कालेजों द्वारा की जानी है, जिसकी सूचना कालेजों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः छात्रों से अपेक्षित है कि आवंटन के पश्चात यथासमय प्रवेश **(Admission)** हेतु अपनी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों। इस काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 25 सितम्बर 2016

निर्धारित है। अतः दिनांक 25.9.2016 की मध्य रात्रि (12:00 बजे) तक अप्रवेशित सीटों को द्वितीय काउंसिलिंग में आवंटन हेतु सम्मिलित कर लिया जायेगा।

- काउंसिलिंग केन्द्रों पर छात्र/अभिभावकों को किसी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र **(Fire Arms)** लाना प्रतिबन्धित है।

महानिदेशक,
चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।